(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Office Superintendent	03*(Three) (2019) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'B,' Non-Gazetted, Ministerial .	Level-6 (₹ 35400-112400)	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

(11)
PROMOTION: Upper Division Clerk in the pay Level-4 in the pay matrix (₹ 25500-81100/-) with ten year's regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in the area of administrative and financial matters from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM). Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and having successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.

(12)	(13)
1. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Central Translation Bureau - Chairman (2) Under Secretary or equivalent outside from the Department of Official Language – Member (3)Joint Director, Central Translation Bureau – Member (4) Administrative Officer, Central Translation Bureau – Member **2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-** (1) Director, Central Translation Bureau - Chairman (2) Under Secretary or equivalent outside from the Department of Official Language – Member (3) Joint Director, Central Translation Bureau – Member (4) Administrative Officer, Central Translation Bureau – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.13011/19/2009-O.L. (C.T.B)]
MANJULA SAXENA, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.330.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्रसंस्करण् केंद्र के लिए पद) भर्ती नियम, 1986, को जहां तक कि उनका संबंध

कार्यपालक निदेशक (सूचना पद्धति) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्रसंस्करण् शाखा में कार्यपालक निदेशक (सूचना पद्धति) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्ट्रोनिक आंकडे प्रसंस्करण शाखा कार्यपालक निदेशक (सूचना पद्धति) भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 **पद संख्या ; वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3 **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त सूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4 **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

(5) **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

(6) **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यपालक निदेशक (सूचना पद्धति)	1* (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) तथा प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

(11)

संयुक्त पद्धति

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) तथा प्रोन्नति

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 13 क (131100-216600 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 13 (123100-215900 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास सम्मिलित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो, अर्थात -:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में एम एस सी या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक, और

(ii) विजुअल बेसिक या पी एच पी या जावा या ए एस पी डॉट नेट का उपयोग करते हुए वास्तविक सॉफ्टवेयर के विकास में पंद्रह वर्ष का अनुभव और सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमया स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डेटाबेस जैसे कि एम वाई एस क्यू एल या एस क्यू एल या ओरेकल या पोस्टग्रेस डेटाबेस में अनुभव रखता हो ।

वांछनीय : - प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में अनुभव जिसके अंतर्गत फ्रेमिंग डेटा संरचना, डेटा फ्लो, रिपोर्ट डिजाइनिंग, पूर्ण सिस्टम डिजाइनिंग और सुरक्षित पर्यावरण के अधीन सर्वरों पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हैं ।

टिप्पणी 1:- स्तर 13 (123100-215900 रु.) के ऐसे निदेशक जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जो प्रतिनियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारण करते हों, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और इनके पद पर नियुक्ति के लिए चयन होने की दशा में, इसे प्रोन्नति के द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा ।

टिप्पणी 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021/01/2017 - स्था. 'ख']

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 10th October, 2019

G.S.R. 330 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Union Public Service Commission (Posts for Electronics Data Processing Centre) Recruitment Rules, 1986, in so far as it relate to the post of Executive Director (Information System) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Director (Information System) in the Electronic Data Processing Branch in Union Public Service Commission, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Electronic Data Processing Branch, Executive Director (Information System), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Executive Director (Information System)	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level 14 (Rs.144200-218200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Composite Method (Deputation (including Short - term Contract) plus	Composite Method {Deputation (including short - term contract) plus Promotion}

		Promotion).	Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government/ Statutory or Autonomous Organisations :- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-13A (Rs.1,31,100 – 2,16,600) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; and (ii) Fifteen years' experience in actual software development using Visual Basic or PHP or JAVA or ASP.Net and having experience in database such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES Data Base in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution. Desirable: Experience in project designing including framing data structure; data flow; report designing; complete system designing and online project implementation on the servers under secured environment. **Note 1**: Director (Information System) in level 13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) with three years regular service and possessing educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short - term contract) including period of deputation (including short - term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short - term Contract) shall be not exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. 39021/01/2017-Estt.(B)]
RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.331.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग लेखा शाखा समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी और तकनीकी सहायक (लेखा) पदों के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—
   1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, लेखा शाखा समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है।
   2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**.— ये नियम, इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श में इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।